453

संख्या– 245/XLII–1/2015–05(01)2010

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद,
देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग　　　　देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल, 2015

विषय– उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून के लिए स्वीकृत पदों के सततीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–820/लेखा/बजट/2014–15 दिनांक 11.02.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून हेतु शासनादेश संख्या–495/XLII–1/2014–05(01)2010 दिनांक 16.09.2014 द्वारा सृजित विभिन्न श्रेणियों के कुल 10 अस्थायी पदों (शोध अधिकारी, शोध सहायक, सहायक लेखाधिकारी, प्रधान सहायक, वरीष्ठ सहायक, अनुवादक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी) की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2015 से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक बनाये रखने की (बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें) श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–04(p)/XXVII(3)/2015 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

संख्या– 245 (1)/XLII–1/2015–05(01)2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
उप सचिव।